

2024/187

25.11.2025

पत्रावली पेश हुई।
वादी एवं उनके अधिवक्ता में से कोई उपस्थित नहीं।
आज अदालत समय में रुक-रुक कर तीन बार आवाजे दिलवाये जाने
के बावजूद वादी एवं उनके वकील में से किसी के उपस्थित नहीं होने पर
उक्त वाद अन्तर्गत धारा आदेश 9 नियम 2 व आदेश 9 नियम 3 के तहत
अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।
पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

322

